

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

अभिलेख वाद सं० 202/246-13-
वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
1-4-2024	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सह-पठित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा 3334/5 धाना नं० 23 खाता सं० 23 प्लॉट सं० 516 रकबा..... एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म..... अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं०..... के पृष्ठ सं०..... पर जमाबंदी रैयत तमिषु सुभा 516 के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक 15-4-2024 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	

अभिलेख उपस्थापित ।

15.4.24

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में

होई का जमाना प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख, दिनांक 30.4.2024 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित ।

30.4.2024

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा उउउमड मौजा नं० खाता सं० 23 प्लॉट सं० रकबा किस्म खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि

होई का जमाना प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं० को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें। लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - फर्रुखी, 6-1431

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
<u>तुविश मुर्झा</u>	<u>चुचकमा</u>		<u>23</u>				
<u>पिरा रामजरन</u>							
<u>मुर्झा</u>							

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :-

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :-

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मियों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

कई विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

अवैध जमाबंदी की जाँच किरा राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा चाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) चाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

चाखिल
पंजी-II है
जाँच किया

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :-

नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशांसा सहित :-

महोदय प्रतिवेदित भूमि का भाँगा और लुप्त एवं फ्रैक्चर पंजी-II में दर्ज नहीं है।

अतः यह कार्य विस्तार किया जा सकता है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जॉचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, यह पता चला कि उक्त गाँव की निरस्त निरस्त किया जा सकता है।

चल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदा., अपर समाहर्ता, उपायुक्त,
छत्तरपुर। छत्तरपुर। छत्तरपुर। पलामू। पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- तुमिष्ठ मुर्तिगि १/० रामजन मुर्ति
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं: पर कायम

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>चक्रमा</u>		<u>23</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :-
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जीरमजनभा मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- NA
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- NA

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
पालू मंग पंजी II में

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष

कमप्लाय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

बाद अभिलेख सं० 202 / 2044 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

नाम सुचिष्ट भुर्रिया, पिता-रामजनन भुर्रिया

ग्राम - कुपसमा, थाना - हतरखु

जिला - पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा कुपसमा थाना नं०.....
खाता सं० 23 खेसरा नं०..... रकबा..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० V के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 30.11.2024 को समय 11:30 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में उक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा
कर दी जायेगी।



अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।